



# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक:- 8684 -प्र०नि०/आ०/का०प्र०/अ०अ०-२/

दिनांक 25.08.15

## कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल) रेग्युलेशन 1972 यथा संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) (विद्युत एवं यांत्रिक) के रिक्त पदों के विरुद्ध उपर्युक्त कार्मिकों के चयनोपरान्त कारपोरेशन के ज्ञाप संख्या-1228/अ-२/मु०अ० (ज०वी०)/प्रोन्नति/2015 दिनांक 21/08/2015 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी सूची, में चयनित अभ्यर्थियों को एतद्वारा मुख्य अभियन्ता (वितरण) बांदा क्षेत्र, बांदा के अधीन कार्यभार ग्रहण की तिथि से ग्रेड वेतन रु० 4200 तथा पे-बैण्ड-।। रु० 9300-34800 में न्यूनतम प्रविष्टि वेतन रु० 9860.00 पर स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर चयन द्वारा नियुक्त किया जाता है। अवर अभियन्ताओं को उनके पूर्व तैनाती जनपद एवं गृह जनपद में तैनात न किया जाये।

### 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयनित कार्मिकों का विवरण :-

क्र०सं०	वरिष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1449	जयशंकर प्रसाद	नीरा प्रसाद	16/06/1978
2	1492	सुरेन्द्र कुमार	हरिदास	10/07/1975
3	1519	विनोद कुमार	लुदंदुर राम	02/02/1967

उपर्युक्त कार्मिकों की चयन द्वारा नियुक्ति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है :-

1. उक्त कार्मिकों को अवर अभियन्ता (सा०श्र०) के पद पर चयन द्वारा नियुक्ति के पश्चात् नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग-अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सके :-
  - (क) कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन/निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
  - (ख) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
  - (ग) कार्मिक के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
  - (घ) उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
2. इन कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता बाद में कारपोरेशन द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3. कार्मिक की चयन द्वारा यह नियुक्ति पूर्णरूप से अस्थायी है जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण) बांदा क्षेत्र, बांदा उपरोक्त आवंटित कार्मिकों की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयन द्वारा नियुक्त समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले कार्मिक के विषय में यह मानते हुये कि वह नव नियुक्त पद स्वीकार करने का इच्छुक नहीं है, तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।



# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

(ऊर्जा भवन, 220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460

5. चयन द्वारा नियुक्त कार्मिकों के नाम पिता का नाम, वर्तमान तैनाती, गृह जनपद जन्म तिथि इत्यादि में यदि टंकण की त्रुटि के कारण कोई भिन्नता परिलक्षित होती है तो वह विवरण सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन योग्य होंगे।
6. नव-तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/योगदान आख्या लेने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण-पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी से दों प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति इस कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पाकालि, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
  - (क) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर कार्मिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, गृह जनपद, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता इत्यादि की पुष्टि/सत्यापन कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों एवं इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों से करेंगे तथा भिन्नता की स्थिति में कार्मिक से शपथ पत्र आदि लेकर अग्रेतर कार्यवाही करेंगे तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।
  - (ख) नियुक्त कार्मिक अपनी योगदान आख्या के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणापत्र नव तैनाती स्थल/कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
    - (1) कारपोरेशन/डिस्काम की सेवाओं में कार्यरत होने सम्बन्धी घोषणा।
    - (2) समस्त चल/अचल सम्पत्ति की घोषणा।
    - (3) विभागीय/अन्य श्रोतों से लिए गये ऋण की घोषणा।
    - (4) कारपोरेशन/डिस्काम के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा।
    - (5) इन कार्मिकों के वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के द्वारा जारी बिन्दु संख्या 2 पर अंकित विभिन्न मदों का प्रमाण पत्र।
7. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या संलग्न निर्धारित प्रारूप पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति सीधे मुख्य अभियन्ता (ज०वी०) के कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

पत्रांक-**8684** -प्र०नि०/आ०/का०प्र०/अ०अ०-२/तद् दिनांक **25.08.2015**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्र०), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सर्तकता), उ०प्र० पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. सचिव, विद्युत सेवा आयोग उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पाऽकाऽलि०, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण क्षेत्र), द०वी०वी०नि०लि०।
7. निदेशक (वित्त/तकनीकी/वाणिज्य/का०प्र० एवं प्रशा०) द०वी०वी०नि०लि०, आगरा।
8. मुख्य अभियन्ता (तकनीकी/वाणिज्य/प्रशा०/आर-एपीडीआरपी) द०वी०वी०नि०लि०, आगरा।
9. अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफीसर, द०वी०वी०नि०लि०, आगरा।
10. प्रबन्ध निदेशक (कैम्प) द०वी०वी०नि०लि०, आगरा।

(अशोक कैम)  
 अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन)